

कम्प्यूटर क्षेत्र

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ॥

क्रमांक:—प.10(2)मुख्यालय/09/2023-00582/47751-852 दिनांक: 09/01/25

परिपत्र

राजस्थान कारागार कार्मिक कल्याण न्यास की न्यासी समिति की बैठक दिनांक 18.12.2024 में सर्व-सम्मति से लिये गये निर्णय के क्रम में राजस्थान कारागार कार्मिक कल्याण न्यास नियम 1988 के नियम एवं विनियम के बिन्दु संख्या 3(स) के अनुसार पूर्ण न्यास राशि जमा नहीं होने पर सदस्यता समाप्त की जाकर न्यास राशि लौटार्ये जाने के प्रावधान के स्थान पर-वर्तमान में मौजूदा सदस्यों जिन्होंने पूर्ण राशि जमा नहीं करवाई है अथवा विभाग के जिन कार्मिकों द्वारा न्यास की सदस्यता नहीं ली है, उन्हें अधीक्षक/प्रभारी कारागृह के माध्यम से प्रोत्साहित कर पूर्ण राशि जमा करवाने/न्यास सदस्यता (55 वर्ष से अधिक उम्र/गंभीर बीमारी से पीड़ित कार्मिकों के अतिरिक्त) प्राप्त किये जाने का प्रावधान किया जाता है तथा राजस्थान कारागार कार्मिक कल्याण न्यास में वर्णितानुसार सदस्यता शुल्क 11 रूपये व न्यास राशि 600 रूपये (एक मुश्त) से बढ़ाकर सदस्यता शुल्क 101 रूपये व न्यास राशि 1000 (एक मुश्त) किया जाता है।

(सुमेर सिंह)

महासचिव

राज. कारागार कार्मिक कल्याण न्यास एवं  
वित्तीय सलाहकार, कारागार विभाग,  
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त उप महानिरीक्षक कारागार, रेंज राजस्थान।
2. अधीक्षक ग्रेड-1/II, महानिदेशालय कारागार, राजस्थान जयपुर।
3. संस्थापन अधिकारी, महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त प्रभारी, कारागृह राजस्थान।
5. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
6. समस्त शाखा प्रभारी, महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर।
7. श्री रमाकांत शर्मा, कारापाल, महानिदेशालय कारागार, जयपुर को उक्तानुसार कार्यवाही संपादित करने के हेतु।
8. निजी सहायक, महानिदेशक/अति. महानिदेशक/महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान।
9. नोटिस बोर्ड चरप्पा हेतु।

Signature valid

राज. कारागार कार्मिक कल्याण न्यास एवं  
वित्तीय सलाहकार, कारागार विभाग,  
राजस्थान, जयपुर  
Designation: Financial Advisor  
Date: 2025.01.09 17:07:12 IST  
Reason: Approver